## न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-3, लखीमपुर-खीरी।

**04-09-2021**

पत्रावली पेश हुई।

पुकार कराया गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हो।

**बाद लंच**

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित और न ही कोई उसके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली पिछली कई तिथियों से परिवादिनी के बयान अं० धारा 200 दं०प्र०सं० में नियत चल रही है। परिवादिनी लगातार नियत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रही है। दिनांक 02-09-2021, 24-08-2021 व दिनांक 17-08-2021 को परिवादिनी को उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादिनी आज भी अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को अपने परिवाद में अब कोई रुचि नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में इस वाद को अग्रसारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

### आदेश

परिवाद संख्या 492/2019 साकिरा बेगम बनाम रामनरेश आदि परिवादिनी की अनुपस्थिति में दं०प्र०सं० की धारा 203 के अंतर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः- 04-09-2021

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं०-3, लखीमपुर-खीरी।